

नियम 33 : प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित हों सकेंगे

- (1) आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दायर अपील या आवेदन में, संबंधित आयुक्त को, यथास्थिति, अपील या आवेदन का प्रत्यर्थी बनाया जाएगा।
 - (2) [आयुक्त] द्वारा की गई अपील या आवेदन में, दूसरे पक्षकार को अपील का प्रत्यर्थी बनाया जाएगा।
-